***न्यायालय सिविल जज (सी.डि.), मुरादाबाद।***

***<u>मूल वाद संख्या–02/2018</u>***

*अश्वनी कुमार रस्तौगी आयु लगभग 58वर्ष पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मी नरायन रस्तौगी, निवासीः–मौहल्ला–फैजगंज, नगर व जनपद–मुरादाबाद।*

***.....वादी।***

***बनाम***

*श्रीमती बबली रस्तौगी आयु लगभग 48वर्ष पत्नी श्री अश्वनी कुमार रस्तौगी, निवासिनीः–मौहल्ला–फैजगंज नगर व जनपद–मुरादाबाद।*

***.....प्रतिवादिनी।***

***<u>08.03.2018</u>***

***<u>संधिपत्र के आधार पर निस्तारण</u>***

*वादी द्वारा यह वाद विरूद्ध प्रतिवादिनी घोषणात्मक डिक्री हेतु संस्थित किया गया है, जिसमें कथन किया गया है कि प्रतिवादिनी उसकी पत्नी है। विषयगत सम्पत्ति, जिसका विवरण वादपत्र के अन्त में परिशिष्ट ''क'' में वर्णित किया गया है, को उसके द्वारा जरिए विक्रय पत्र दिनांकित– 13.10.1995 अपने निजी स्रोत से क्रय किया गया था, जिसके प्रतिफल की अदायगी भी वादी द्वारा स्वयं की गयी थी। दिनांक– 01.01.2017 को उभय पक्षों के मध्य निष्पादित पारस्परिक समझौते के अनुसार प्रतिवादिनी ने यह स्वीकार किया कि उक्त मकान को वादी द्वारा अपने निजी स्रोत से क्रय किया गया है तथा वादी उक्त सम्पत्ति का स्वामी है। दिनांक– 01.01.2018 को एक स्मृति पत्र भी उभय पक्षों के मध्य निष्पादित किया गया, अतः जरिए घोषणात्मक डिक्री प्रश्नगत सम्पत्ति, जिसे वादपत्र के अन्त में परिशिष्ट ''क'' में वर्णित किया गया है, का स्वामी वादी को घोषित कया जाये।*

*वादपत्र में किये गये कथनों के समर्थन में वादी की ओर से सूची 6ग कागज संख्या–7ग फोटो कॉपी विक्रय पत्र दिनांकित– 13.10.1995श्रीमती प्रभा अग्रवाल बहक श्रीमती बबली रस्तौगी एवं कागज संख्या–14ग नकल विक्रय पत्र दिनांकित– 13.10.1995 श्रीमती प्रभा अग्रवाल बहक श्रीमती बबली रस्तौगी दाखिल किया गया है। प्रतिवादिनी की ओर से प्रतिवादपत्र 11क प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वादपत्र में किये गये कथनों से इन्कार किया गया है। दौरान वाद उभय पक्षों की ओर से यह कथन किया गया है कि वे वाद का निस्तारण*

*संधिपत्र के आधार पर कराना चाहते हैं तथा उभय पक्षों की ओर से संधिपत्र कागज संख्या–15क प्रस्तुत किया गया। संधिपत्र में वादी के हस्ताक्षर एवं फोटो की पहचान उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल प्रकाश द्वारा एवं प्रतिवादिनी के हस्ताक्षर एवं फोटो की पहचान उनके विद्वान अधिवक्ता श्री नवाज़ इन्तजार द्व ारा की गयी। उक्त समझौते को उभय पक्षों की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सत्यापित किया गया।*

***2***

*संधिपत्र कागज संख्या–15क के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रश्नगत सम्पत्ति/मकान का स्वामी वादी का होना प्रतिवादिनी द्वारा स्वीकार किया गया है। यह भी कहा गया है कि उक्त मकान को वादी द्वारा प्रतिवादिनी के नाम से श्रीमती प्रभा अग्रवाल से दिनांक–13.10.1995 को क्रय किया गया था। उभय पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उभय पक्ष पति–पत्नी है तथा प्रतिवादिनी की अपनी कोई पृथक आय नहीं है। प्रश्नगत मकान को वादी द्वारा स्वयं के स्रोत से क्रय किया गया था। वादपत्र में ऐसे कोई वाद कारण का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके आधार पर यह वाद दायर किया गया हो। किन्तु उभय पक्षों के मध्य संधि हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मेरे मत में वाद का निस्तारण संधिपत्र के आधार पर किया जाना न्यायोचित होगा।*

***<u>आदेश</u>***

*वाद का निस्तारण संधिपत्र कागज संख्या–15क के आधार पर किया जाता है।*

*संधिपत्र 15क डिक्री का भाग होगा।*

***उभय पक्षों को यह आदेशित किया जाता है कि उन्हें इस संधिपत्र का कोई लाभ किसी भी अन्य विधिक कार्यवाहियों में नहीं दिया जा सकता है।***

***यह भी आदेशित किया जाता है कि इस संधिपत्र के आधार पर यदि भविष्य में किसी विधि का उल्लंघन होना पाया जाता है अथवा किसी तृतीय पक्ष के हित प्रभावित होते हैं अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य का छिपाया जाना पाया जाता है तो यह संधिपत्र स्वतः निष्प्रभावी मान लिया जायेगा।***

*सिविल जज (सी.डि.),*
*मुरादाबाद।*